न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 35/2018 जिला भीलवाड़ा

खुमाणसिंह पुत्र श्री सांवतसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी–नई अरवड़, तहसील फूलिया कलां, जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय फूलिया कलां जिला भीलवाड़ा।
2. इन्द्रसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत, निवासी–नई अडवड तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
3. लालसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत, निवासी– निवासी–नई अडवड तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
4. सम्पतसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत, निवासी– निवासी–नई अडवड तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।
5. हरिसिंह पुत्र सांवतसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण–नईअडवड तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।

––रेस्पोडेण्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2016 बउनवान खुमाणसिंह बनाम स्टेट ऑफ राज0 राज्य में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः– श्री हेमराज गुप्ता(अपीलांट अभि0)
श्री प्रदीप विशनोई(रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय   दिनांकः– 22.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम नई अरवड़ तहसील फूलियाकलां में विवादित भूमि अवस्थित है। अपीलांट एवं रेस्पो0 के पिता सांवत सिंह थे तथा सांवतसिंह के पिता मोतीसिंह थे। रेस्पो0 की एक बहिन लाली भी है। पूर्व में अपीलांट और रेस्पो0 के दादा मोतीसिंह के नाम जमीने थी। उक्त जमीने अरवड़ बांध मे निर्माण से डूब में आ गई। इसके बदले में इन्हें नई भूमि दी गई। जो खाता संख्या 201, 240 एवं 200 में दर्ज की गई(खतौनी बन्दोबस्त), उक्त पुराने खातों से नये खाता नम्बर एवं नये खसरा नम्बर बने जिसमें नये खसरा नम्बर 397,401,402,414 अपीलांट और रेस्पो0 के पिता सांवतसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज हुए एवं खसरा संख्या 108,110,111,116 में सांवतसिंह पुत्र मोतीसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज किया है। सांवतसिंह की मृत्यु के बाद विरासत नामातंरण संख्या 125 दिनांक 23.08.2003 दर्ज हुआ तथा एक अन्य नामांतरण संख्या 126 दिनांक 23.08.2003 को दर्ज हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अनुसार सांवतसिंह को धोखे में रखकर रेस्पो0 2 से 5 ने अपने पक्ष में वसीयत करवायी जबकि विवादित भूमि स्वर्जित भूमि न थी। पुश्तैनी भूमि थी। साथ ही एक हक त्याग भी धोखे में रखकर करवाया गया(दिनांक 21.09.2000), जानकारी पर अपीलांट द्वारा

दिनांक 27.08.2003 को उप पंजियक फूलियाकलां के समक्ष उपस्थित होकर हक त्याग को निरस्त करवाया।

सांवतसिंह की मृत्यु दिनांक 03.06.2003 को हो चुकी है। विरासत के आधार पर नामातंरण संख्या 125,126 दिनांक 23.08.2003 तस्दीक किया जा चुका है।

नामातंरण संख्या 125,126 को निरस्त करवाने के लिए रेस्पो0 इन्द्रसिंह द्वारा एक अपील दिनांक 29.09.2003(5/2003) को उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त अपील में अपीलांट का पक्ष नहीं सुना गया तथा अपील में दिनांक 26.10.2005 को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड कर दी कि हक त्याग और वसीयत के आधार पर नामातंरण तस्दीक करें।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के इस निर्णय के विरूद्ध मुझ अपीलांट खुमाणसिंह के द्वारा ए0डी0सी0 न्यायालय अजमेर में अपील संख्या 86/2005 खुमाणसिंह बनाम इन्द्रसिंह के नाम से दर्ज करवायी। उक्त अपील को दिनांक 12.06.2009 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा का निर्णय दिनांक 26.10.2005 निरस्त किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2009 से व्यथित हाकर रेस्पो0 द्वारा एक निगरानी संख्या 4793/2009 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। जिसे दिनांक 10.03.2014 को मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया।

उक्त निगरानी निर्णय से व्यथित होकर पुनः अपीलांट खुमाणसिंह द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2768/2014 प्रस्तुत की। इसे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 26.10.2005 को यथावत रखते हुए रिमाण्ड किया तथा निर्देश दिये कि तहसीलदार वसीयतनामें और हत्या की जांच करते हुए निर्णय किया। हाईकोर्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 16.05.2014 को सुनाया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देश की पालना में प्रकरण संख्या 5/2014 में प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा रिमाण्ड प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा एक अपील संख्या 9/2015 अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसे उनके द्वारा दिनांक 11.05.2016 को खारिज कर दिया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 11.05.2016 के निर्णय से व्यथित होकर एक रिव्यू प्रार्थना पत्र न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे भी उनके द्वारा दिनांक 15.02.2017 को खारिज कर दिया। रिव्यू आदेश के खारिज होने से व्यथित होकर पुनः अपीलांट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक रिट याचिका संख्या 5218/2017 प्रस्तुत की। इस रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 26.05.2017 को निर्णित किया तथा निर्देश दिया कि ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2016 रिव्यू पिटिशन आदेश दिनांक 15.02.2016 सक्षम संभागीय/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने को कहा गया। उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 26.05.2017 के क्रम में उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये है–

1. विवादित भूमि स्वर्जित न होकर पुश्तैनी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: Self Attested

2. वसीयतकर्ता अपीने हिस्से तक की भूमि को वसीयत कर सकता है, यदि भूमि पुश्तैनी भूमि हो तों।

3. वसीयतनामा और हक त्याग दस्तावेज फर्जी है।

4. सांवतसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त दस्तावेज सामने नहीं लायें गये।

5. नामातंरण स्वीकृत होने के बाद उक्त दस्तावेज सामने लाये गये।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विवेचन किये बिना निर्णय दिया है जो गलत है।

7. स्वर्जित कृषि भूमि होने संबंधित दस्तावेज रेस्पो0 द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है।

8. हक त्याग नामा दिनांक 21.09.2000 लिखने वाले दिन भूमि मुझ अपीलांट खुमाणसिंह के नाम दर्ज नहीं थी मगर पिता सांवतसिंह के नाम दर्ज थी।

9. उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट पीटिशन संख्या 2768/2014 के निर्णय की पालना के निर्देश पर तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा मुझ अपीलांट खुमाणसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच नहीं की गई है।

10. अपील के अंत में निवेदन किया कि ए0डी0एम भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 11.05.2016 और तहसीलदार फूलियांकलां के निर्णय दिनांक 30.12.2014 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5,14 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र तथा एक प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्युकोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अपील के इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि भूमि मूल रूप से मोतीसिंह के नाम दर्ज थी जो अरवड़ बांध बनने से बांध के डूब क्षेत्र में आ गई। जिसके बदले नई भूमियां मोतीसिंह को दी गई। नई भूमियां वारिसान के नाम दर्ज हुई। इस वजह से कुछ भूमियां अपीलांट और रेस्पो0 के पिता सांवतसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज हुई। कुछ में सांवतसिंह का हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया। नामातंरण संख्या 125 एवं 126 के द्वारा सांवतसिंह के नाम दर्ज भूमियां विरासत से अपीलांट और रेस्पो0 सभी के नाम दर्ज की गई। मगर कुछ लोगो ने कहा है कि सांवतसिंह द्वारा की गई वसीयत की वजह से अपीलांट खुमाणसिंह का नाम नहीं आना चाहिए। इसके बाद कि प्रकार से न्यायालय में यह प्रकरण चला इस बारे में अपीलांट वकील द्वारा बताया गया। उन्होने बहस में यह बताया कि अपीलांट खुमाणसिंह द्वारा हकत्याग को निरस्त भी करवा दिया था। तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच नहीं करवायी गयी ।हम वारिस है। भूमि पुश्तैनी है। अभी कोई वादपत्र कही नहीं चल रहा है। तहसीलदार द्वारा स्वयं के आदेश की पालना नहीं करवायी गयी(दिनांक 03.07.2014)।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान बताया कि तहसीलदार के विरूद्ध कन्टेम्प्ट की कार्यवाही करते, रिव्यू की अपील नहीं की, हकत्याग और वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही सही है। हकत्याग का दस्तावेज सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 नम्बर 2 से 5 के अभिभाषक के अनुसार अपील बहुत देरी से पेश की। आधार गलत है। अपीलांट को कानून की पूरी जानकारी थी। अपीलांट ने यह सिद्ध नहीं किया है कि भूमि पुश्तैनी है। अगर वसीयत फर्जी बता रहे है तो सिविल न्यायालय में जाकर इसे निरस्त

करवाते। वसीयत और हकत्याग रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अपील के पैरा संख्या 4 में उठाया गया प्रश्न पहले निर्णित हो चुका है। अब नहीं उठाया जा सकता है। अपील खारिज की जायें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5,14 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र 23/2016 ए0डी0एम0भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 15.02.2016 कों निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका दायर की गई। उक्त रिट याचिका में हुए निर्णय की जानकारी अभिभाषक द्वारा मुझ प्रार्थी को नहीं दी गई। दिनांक 04.03.2018 को अभिभाषक से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देश के बाद भीलवाड़ा जाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किये है तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर गांव जाकर सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर बिना देरी अपील प्रस्तुत की गई है। जानकारी के अभाव में हुई सदभाविक देरी को क्षमा कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय करें। वर्तमान अपील दिनांक 16.04.2018 को न्यायालय हाजा में दर्ज हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट याचिका 5218/2017 में निर्णय दिनांक 26.05.2017 को किया गया। अपीलांट के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 26.05.2017 की जानकारी उनके अभिभाषक के द्वारा उन्हें नहीं दी गई थी। उन्हें जानकारी दिनांक 04.03.2018 को प्राप्त हुई है। अब जानकारी दिनांक के बाद उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत की जा चुकी थी। ऐसी अवस्था में जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार फूलियाकलां का निर्णय दिनांक 30.12.2014 की सत्यप्रति प्राप्त नहीं होने से फोटोप्रति पेश की गई है। सत्यप्रति हेतु आवेदन किया हुआ है जो प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः फोटोप्रति को प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलांट द्वारा तहसीलदार फूलियाकलां के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया गया है तथा शीघ्र प्राप्त कर उपलब्ध करवा देगें। अतः प्रार्थना पत्र नियम 17,32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल स्वीकार किया जाता है और फोटोप्रति को पत्रावली पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद का विषय है कि विवादित भूमियां जिनकी सांवतसिंह द्वारा वसीयत की गई थी, वे भूमियां क्या पैतृक भूमियां थी अथवा नहीं। दूसरा खुमाणसिंह द्वारा किया गया हकत्याग कानून की नजर में क्या उचित है ? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार शाहपुरा के कार्यालय आदेश दिनांक 08.07.1970 के अनुसार उक्त आदेश राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 15 दिसम्बर 1966 व 21 अक्टूबर 1968 के अनुसरण में जारी किया जाना दृष्टिगत होता है। उक्त आदेश में अमरसिंह, जोरावरसिंह, सांवतसिंह हिस्सा बराबर वल्द मोतीसिंह राजपूत निवासी नई अरवड़ अंकित किया हुआ है तथा यह अंकन किया हुआ है कि ''ने उनकी अरवड़ बांध में आयी निम्नांकित आराजी के मुआवजे तथा बदले में दी गई भूमि की आरक्षित मूल्य लौटाने का अनुबंध दिखाया जाकर भूमि वापस काश्तकार को काश्त हेतु दी जाती है। उक्त भूमि पानी के बाहर आ जाये तो काश्तकार खेती कर सकेगा। उसका पूरा लगान लिया जायेगा और यदि भूमि पानी के बाहर नहीं निकलती है तो उसका 1/4 लगान देना रहेगा। खाता नम्बर 201 में कुल 6 खसरा नम्बर 14 बीघा 3 बिस्वा उक्त तीनों को आवंटित किये गये। उक्त 6 खसरा नम्बर 61,62,64/4,64/2,65 और 66 थे। एक अन्य आदेश से इन तीनों को ही कुल सात खसरा नम्बर 54,55,57,58,59,60,67 कुल रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested

एक अन्य आदेश से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा खसरा नम्बर 54,55,57,58,59,60,67 कुल किता 7 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि दिनांक 08.07.1970 के आदेश से अमरसिंह जोरावरसिंह सांवतसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत को हिस्सा बराबर दर्ज करते हुए उनकी अरवड़ बांध में आयी भूमियों के बदले उपलब्ध करवायी गई। उक्त भूमियां पूर्व में दर्ज भूमियों के बदले उपलब्ध करवायी गई थी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 61(साबिक) के नये नम्बर 643 रकबा 0.56 बने है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 64/1(साबिक) के नये नम्बर 644 रकबा 0.78 बने है तथा 64/2 मिन से 642 रकबा 0.35 और 643 रकबा 0.56 बने है। खसरा नम्बर 66 मिन से 645 रकबा 0.65 बने है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 59 से नये नम्बर 648 रकबा 0.02 बने है। खसरा नम्बर 60 (साबिक) से 647 रकबा 0.85 नया नम्बर बना है। खसरा नम्बर 67(साबिक) से खसरा नम्बर 643 रकबा 0.56 बना है।

सांवतसिंह द्वारा जो खसरा नम्बर वसीयत किये गये थे, वो निम्नानुसार है–खसरा नम्बर 397,401,402,414, उक्त भूमियां सांवतसिंह के अकेले के नाम दर्ज थी तथा अन्य खसरा नम्बर 108,110,111,115,116 में सांवतसिंह का हिस्सा 1/3 दर्ज था।

हकत्याग जो कि खुमाणसिंह द्वारा अपने अन्य भाइयों के पक्ष में लिखा गया है, में भी उन्हीं खसरा नम्बरों का जिक्र है जो सांवतसिंह द्वारा वसीयत में दर्ज किये गये थे। हकत्याग दिनांक 21.09.2000 को लिखा गया है। जबकि वसीयत में 21 तारीख तो लिखी हुई तथा वर्ष 2000 लिखा हुआ है। महीना अंकित नहीं है। खुमाणसिंह द्वारा दिनांक 27.08.2003 को हकत्याग का केन्सलेसन डीड करवाया गया है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दृष्टिगत होता है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा दिनांक 02.06.2014 को पत्र जारी कर मौकापर्चा बनाने के निर्देश के अनुसरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.06.2014 को मौकापर्चा बनाकर अपने रिकोर्ड तहसीलदार कार्यालय में दिनांक 04.07.2014 को प्रस्तुत की थी। उक्त मौका रिपोर्ट में पटवारी द्वारा सांवतसिंह पिता मोतीसिंह के सजरा के बारे में बताया था तथा मौके पर कौन काश्त कर रहा है यह बताया है। इसके अलावा यह बताया है कि कौनसे खसरा नम्बर सांवतसिंह द्वारा अर्जित है और कौनसे खसरा पैतृक भूमियां है। पटवारी हल्का के अनुसार आराजी नम्बर 397, 401, 402, 414, कुल किता 4 रकबा 1.58 हे0 भूमि सांवतसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत द्वारा स्वर्जित है तथा खसरा नम्बर 108,110,111,115,116 किता 5 रकबा 3.80 हे0 भूमि को पैतृक भूमि बताया है। इससे स्पष्ट है कि कुछ भूमियां सांवतसिंह की स्वर्जित भूमियां थी तथा कुछ भूमियां पैतृक भूमियां थी। तहसीलदार ने अपने निर्णय में इन बातों का ध्यान नहीं रखकर वसीयत दिनांक 25.09.2000 के आधार पर नामातंरण दर्ज करने का आदेश दिया।

खुमाणसिंह द्वारा आराजी नम्बर 397, 401, 402,414 तथा खसरा नम्बर 108,110,111,115,116 कुल रकबा क्रमशः 1.58 हे0 एवं 3.80 हे0 में अपने हिस्से को बिना कोई प्रतिफल लिये हकत्याग दिनांक 21.09.2000 को करने बाबत दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाया। उक्त दिनांक को जमाबंदी में खुमाणसिंह का नाम भी दर्ज नहीं है। बिना जमाबंदी में उसके नाम आये जो यह हकत्याग दस्तावेज तैयार हुआ है। वह दस्तावेज उचित नहीं है। क्योकिं क्योकिं दिनांक 05.08.2003 को प्रथम बार उक्त खसरा नम्बरों में विरासत के बाद खुमाणसिंह का नाम दर्ज हुआ था। उससे पूर्व किस आधार पर उक्त हकत्याग दस्तावेज का पंजियन करवाया गया है। वह किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। सांवत सिंह की मृत्यु के समय रेस्पो0 को विरासत का नामातंरण खुलते समय उक्त तथ्य बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested

हकत्याग प्रस्तुत करने का अवसर था। मगर यह नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 29.09.2003 को खुमाणसिंह , लाली एवं दरियावकंवर बेवा सांवतसिंह को पक्षकार बनाते हुए रेस्पो0 इन्द्रसिंह, लालसिंह ,संपतसिंह, हरिसिंह द्वारा एक अपील विरूद्ध नामातंरण संख्या 125 ग्राम नई अरवड़ तहसील दिनांक 23.08.2003 के विरूद्ध अपील दर्ज करवायी थी। उक्त अपील में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने नामातंरण संख्या 125 को निरस्त करने का आदेश देकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया था। जबकि वसीयत दिनांक 25.09.2000 को एक्जीब्युट हो चुकी थी।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2014 एवं तहसील कार्यालय में उसके द्वारा प्रस्तुतीकरण दिनांक 04.07.2014 के पत्र क्रमांक से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों में से कुछ भूमियां स्वअर्जित भूमियां नहीं है तथा वसीयतकर्ता सिर्फ अपने हिस्से तक की भूमियों को ही वसीयत कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में वसीयतकर्ता सांवतसिंह द्वारा पैतृक भूमि की भी अपने हिस्से से ज्यादा अंश में वसीयत की है जो उचित नहीं है। साथ ही खुमाणसिंह द्वारा दिनांक 25.09.2000 को जब हक त्याग दस्तावेज एक्जीक्युट किया गया था उस दिनांक को वह खातेदार/सहखातेदार नहीं था। अतः उक्त हकत्याग भी कोई महत्व नहीं रखता है। दिनांक 27.08.2003 को 100 रूपये के स्टाम्प पर सांवतसिंह द्वारा हकत्याग कैन्सलेशन डीड तैयार करवायी गई थी। यह सब होते हुए भी तहसीलदार द्वारा इन तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए रेस्पो0 के पक्ष में नामातंरण खोलने का आदेश दिनांक 30.12.2014 को प्रकरण संख्या 05/2014 में इन्द्रसिंह बनाम सरकार में निर्णय कर विवादित खसरा नम्बरों से खुमाण सिंह का नाम हटाने का आदेश दिया गया था, जो किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये—

1. आर0एल0डब्ल्यू0 2011(2) पेज 798 (राज0)—वसीयत को संदिग्ध माना गया। अभी निर्धारित—अपीलांट को सक्षम न्यायालय से वसीयत के आधार पर अधिकार का न्याय,निर्णय कराने के निर्देश दिया।

2. आर0बी0जे0 2004 पेज 514— नामातंरण की कार्यवाही में राजस्व न्यायालय वसीयत के सही होने की या नही होने की सक्षमता नहीं रखता है।

3. आर0आर0डी0 1984 पेज 391— वसीयत का सही होना उस व्यक्ति द्वारा सिद्ध किया जायेगा जिसे वसीयत के आधार पर लाभ लेना है।

4. आर0आर0टी0 2003(2) पेज 870— उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न वसीयत अथवा दत्तक के जरिये नामातंरण कार्यवाही में अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता है। स्वत्व के अधिनिर्णय हेतु पक्षकार को उचित मंच की शरण लेनी चाहिए।

वर्तमान प्रकरण में यही स्थिति है कि अपीलांट द्वारा वसीयत को संदिग्ध बताया गया है। मगर तहसीलदार द्वारा बिना सक्षमता के वसीयत के सही होने की बात मानते हुए खुमाणसिंह का नाम विवादित खसरा नम्बर से हटाने का आदेश दिया है। वर्तमान प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत . आर0एल0डब्ल्यू0 2011(2) पेज 798 (राज0), आर0बी0जे0 2004 पेज 514 सही रूप से चस्पा होती है। रेस्पो0 द्वारा वसीयत को सिविल कोर्ट के माध्यम से सिद्ध नही करवाया है। क्योकिं तहसीलदार को वसीयत के सही होने बाबत निर्धारण करने की कॉम्पिटेंसी नहीं दी गई है।

अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना उचित होगा। तहसीलदार फुलियाकलां को निर्देशित किया जाता है कि मोतीसिंह के समय से राजस्व रिकोर्ड प्राप्त कर, मिलान खसरा प्राप्त कर, अरवड़ बांध में स्थित भूमियों से संबंधित रिकोर्ड प्राप्त कर तथा पूर्व में पक्षकारों के पास भूमियों के बदले (डूब क्षेत्र मे) के बदले तहसीलदार शाहपुरा के आदेश 21.10.1968 के क्रम में पक्षकारों को दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested

गई भूमियों का विवरण प्राप्त कर वसीयत एवं हकत्याग दस्तावेज का माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका नम्बर 2768/14 में निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फूलियाकलां प्रकरण संख्या 05/2014 इन्द्रसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 30.12.2014 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से परीक्षण कर विधिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested